



म.ज्यो.फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

527263, 527286
527282, 527273

बरेली - 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./79(1)/2004/ 2238-43

दिनांक : 14.07.2004

प्रबन्ध निवेशक

खण्डेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी

प्र.का. निकट, प्रेमनगर धर्मकांटा, बरेली

गानेशपुर

कृपया अपनी संस्था में स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विषयक अपने पत्र दिनांक 19.06.04 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपको अवगत कराना है कि आपकी संस्था को राजभवन के पत्रांक ई.सत्र/318/जी.एस. दिनांक 31.3.03 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिनांक 01.07.2002 से प्रदान किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति जी के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 07.07.04 को किए गए निरीक्षणोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.04 से 100 छात्रों के प्रवेश की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ कार्यपरिचय की स्वीकृति की प्रस्तावा में प्रदान की गयी है।

1. विश्वविद्यालय परिनियमावली में अंकित सम्बद्धता शर्तों/मानकों की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
2. शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 (शुल्क संबंधी) एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या का निर्धारण संस्था में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर कम भी हो सकेगा है।
4. सम्बद्धता मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बी.एड. प्रवक्ताओं को तत्काल नियुक्ति पत्र निर्गत करें एवं नियुक्त प्रवक्ताओं की कार्यभार आख्या से उनके संकाय की सूचना सहित सम्बद्धता विभाग को अवगत कराये ताकि आपकी संस्था में छात्रों का आबंटन किया जा सके।

भवदीय

(के.एन. पाण्डेय)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. वित्त अधिकारी
2. प्रमुख समन्वयक, प्रवेश सेल, परिसर को इस आशय से प्रेषित कि यह पत्र मात्र सम्बद्धता स्वीकृति हेतु जारी किया गया है। छात्रों का आबंटन पृथक से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सहायक कुलसचिव (एकेडेमिक/पुनर्गठन/प्रशिक्षण)
4. प्रभारी गोपनीय/अति गोपनीय
5. निजी सचिव (कुलपति)

कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/सम्बद्धता/2017/ 1310-1320

दिनांक: 11.05.2017

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव

खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
बरेली।

विषय: खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संक्रयान्तर्गत बी0एड0 (02 यूनिट 100 सीट) पाठ्यक्रम में अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 11.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संक्रयान्तर्गत बी0एड0 (02 यूनिट 100 सीट) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों/कमियों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटचिंत अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय,

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव(गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
09. समन्वयक, बी0एड0 प्रवेश सेल।
10. मुख्य समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2017-19, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रु.वि./सम्ब. /2018/ 23/43-03

दिनांक: 09.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव

खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
बरेली।

विषय: खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० एवं परास्नातक स्तर पर एम०एड० पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० एवं परास्नातक स्तर पर एम०एड० पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयों के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षाओं व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
09. विधि पाठ्यक्रमों में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य-परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंत्यताओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०रू०वि०, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप-कुलसचिव सम्बद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव